राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 41 / 2024

श्रीमती कंचन चारण **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, मण्डल जोधपुर, जोधपुर।
4. सहायक प्रशासनिक सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (ग्रुप–2), जयपुर।
5. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर।
6. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डिविजन शहर, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2024
आदेश की दिनांक : 16.07.2025

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 21.10.2022 (अनुलग्नक–1) एवं पत्र दिनांक 12.11.2022 (अनुलग्नक–2) के विरूद्ध दायर की गई है जिसमें विभाग द्वारा अपीलार्थी को आवंटित सरकारी आवासीय क्वार्टर के मासिक किराए में छूट नहीं दी गई है।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अंवाणा (Anwana), जोधपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी व्याख्याता ग्रेड प्रथम के पद पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय महामंदिर जोधपुर में कार्यरत रहने के दौरान सम्भागीय आयुक्त के आदेश दिंनाक 29.12.2015 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को नियमानुसार सरकारी रहवासीय क्वार्टर नं. C/E/53 हाईकोर्ट कॉलोनी में आवंटित किया गया। तत्पश्चात् आदेश दिनांक 21.06.2019 के द्वारा अपीलार्थी को प्रधानाचार्य के पद पर पदोन्नत होने पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय महामंदिर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, घाना मगरा, बिलाड़ा में स्थानांतरण किया गया, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया (अनुलग्नक–4)।

3. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी को COVID-19 अवधि में स्थानांतरित कर दिया गया था, इसलिए वह उपरोक्त क्वार्टर खाली नहीं कर सकती थी क्योंकि उसके ससुराल पक्ष को सैन्य अस्पताल में निदान किया जा रहा था और अपीलार्थी के पति असम में तैनात भारतीय वायु सेना में कार्यरत थे और उसके बच्चे स्कूल जाते थे, इस सबंध में अपीलार्थी ने दिनांक 09.08.2019 को सम्भागीय आयुक्त को प्रार्थना–पत्र लिख कर निवेदन किया कि उसकी पारिवारिक परिस्थितियो को ध्यान में रखते हुए उसे उक्त क्वार्टर पर निरंतर रहने की अनुमति प्रदान की जावें तथा अपीलार्थी ने सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 20.12.2019 को उक्त रहवासीय क्वार्टर में साधारण दर का तिगुणा किराए पर आगामी 6 माह तक रहने की अनुमति हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी कथन है कि अपीलार्थी विभाग द्वारा पत्र दिनांक 03.06. 2020 (अनुलग्नक–7) के द्वारा अपीलार्थी को निर्देशित किया गया कि वह 7 दिवस में आवास को रिक्त कर कार्यालय को सूचित करे नियत अवधि में राजकीय आवास रिक्त नहीं करने कि स्थिति नियमानुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि सामान्य प्रशासन (ग्रुप–।।) विभाग के पत्र दिनांक 21.10.2022 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को राजकीय आवास में दिनांक 21.12.2019 से 16.06.2020 तक निवास कि अवधि का सक्षम स्तर से शिथिलन प्रदान नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया तथा सम्भागीय आयुक्त के पत्र दिनांक 12.11.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अधिशाषी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर–नगर खण्ड़ को निर्देश दिये कि अपीलार्थी से राजकीय आवास संख्य सी/ई/53 हाईकोर्ट कॉलोनी, जोधपुर में अनधिकृत निवास अवधि का नियमानुसर किराया राशि की वसूली करने के निर्देश दिए गए। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह अपील अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है।

6. प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं सुनवाई के समय यह कथन किया गया है कि विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश नियमानुसार है एवं राजकीय आवास का आवंटन अन्य कार्मिक को किया जाना आवश्यक था। अतः उन्हें नियमानुसार निर्धारित अवधि में आवास रिक्त करने के निर्देश दिए गए। अतः अपील अपीलार्थी अपास्त किए जाने योग्य है।

7. उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन कर मनन किया।

8. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपीलार्थी द्वारा अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

9. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

10. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य